गणतंत्र दिवस 2015 में
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के झांकी निर्माण हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" के प्रस्ताव का आमंत्रण

क्रमांक 9478/यो. शाखा/नपानि/15 रायपुर, दिनांक : 03/01/2015

गणतंत्र दिवस 2015 के अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर के झांकी निर्माण हेतु पुलिस ग्राउण्ड, रायपुर में विभागीय चलित झांकी प्रदर्शनी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विविध गतिविधियों के प्रस्तुतीकरण हेतु इच्छुक प्रस्तावकों से "रूचि की अभिव्यक्ति का" प्रस्ताव **दिनांक 14.01.2015** तक आमंत्रित कि जाते हैं। प्रस्ताव के साथ अमानती राशि रू. 5000/- राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. के रूप में, आयुक्त नगर निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा। इसके तहत विभागीय गतिविधियों को क्रियाशील मॉडल एवं मुर्तियों आदि माध्यम से ट्राली में प्रदर्शित किया जाना है। झॉकी **दिनांक 24.01.2015** तक अनिवार्य रूप से तैयार किये जाने है। इस हेतु अन्य प्रमुख शर्ते एवं कार्य का विवरण नगर निगम के वेब साईड www.nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3/1/15

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

गणतंत्र दिवस 2015 में
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के झांकी निर्माण
हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" के प्रस्ताव का आमंत्रण

क्रमांक : 9478 / यो. शाखा / नपानि / 15 रायपुर, दिनांक : 03 / 01 / 2015

गणतंत्र दिवस 2015 के अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर के झांकी निर्माण हेतु पुलिस ग्राउण्ड, रायपुर में विभागीय चलित झांकी प्रदर्शनी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विविध गतिविधियों के प्रस्तुतीकरण हेतु इच्छुक प्रस्तावकों से "रूचि की अभिव्यक्ति का" प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। कार्य का विवरण तथा शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. विभागीय गतिविधियों को ट्राली में प्रदर्शित किया जाना होगा, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के विभिन्न गतिविधियों का जिसमें विभाग के संबंध में गुणवत्ता, विभाग की योजनाओं का प्रदर्शन जीवंत, क्रियाशील मॉडल एवं मूर्ति आदि माध्यमों से किया जाना है। इच्छुक प्रस्तावक अपनी कल्पनानुसार तथा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर से चर्चा उपरांत उक्त थीम पर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।
2. प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रू. 5,000 / –(पांच हजार मात्र) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. अथवा एकाउन्टपेयी बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के बिना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रस्ताव फर्म / व्यक्ति / संस्था के पास विगत वर्षों में न्यूनतम तीन झांकी अथवा समान प्रकार के कार्यों का अनुभव हो तथा प्रस्तावक वित्तीय रूप से समक्ष हो गत् तीन वर्षों में राशि रू. 10.00 लाख या अधिक का टर्न ओव्हर रहा हो । प्रस्तावक के पास पर्याप्त कर्मचारी / कलाकार होने चाहिए। इस संबंध में प्रमाणित दस्तावेज / विवरण / अनुभव प्रमाण पत्र प्रथम लिफाफे में संलगन किये जावें । फर्म के पास सर्विस टैक्स नम्बर, पिन नंबर अनिवार्य जिसका आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. प्रस्ताव अपने लेटरहेड पर प्रस्ताव दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करेंगे । प्रथम लिफाफे में विस्तृत प्रस्ताव होगा, जिसमें राशि रू. 5,000 की अमानति राशि का एफ.डी.आर. / बैंक ड्राफ्ट तथा ले–आउट प्रदर्शन से संबंधित प्रस्तुतीकरण का विस्तृत आलेख तथा चित्रात्मक प्रदर्शन होंगे । फर्म के द्वारा झांकी का थ्रीडी डिजाईन जमा करना अंनिवार्य होगा । इसके साथ ही इस लिफाफे में प्रस्तावक अपने अनुभव का कार्य विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं । द्वितीय लिफाफे में दरें होंगी । सभी कागजों पर सीलयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

5. प्रस्तावकों के प्रस्तुतीकरण के आकर्षण प्रभावी होने के आधार पर ही मूल्यांकन कर चयन किया जावेगा व तद्उपरांत दरों का लिफाफा खोला जावेगा।

6 प्रस्ताव में प्रस्तुत दरें समस्त कार्य यथा झांकी की निर्माण, फ्लैक्स, मजदूरी आदि सहित एक–मुश्त प्रस्तुत की जाएगी एवं प्रदर्शन से संबंधित सभी कार्य शामिल माने जाएंगे।

7 भुगतान करते समय करों की स्त्रोत पर कटौती की जाएगी। प्रस्तावक संस्था के सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पेन कार्ड लिफाफा एक में प्रस्तुत करना होगा।

8. प्रस्ताव स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा तथा स्वीकृत प्रस्ताव में आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार भी आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा।

9 प्रस्ताव दिनांक 14.01.2015 तक शाम 4.00 बजे तक मुख्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के योजना शाखा के कक्ष क्र. 407 में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। निविदा उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष 5.00 बजे खोली जावेगी ।

11. नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा झांकी में यथा प्रस्तावित परिवर्तन एवं परिवर्धन संस्था को मान्य होगी । इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि का प्रदाय नहीं किया जावेगा।

12. झॉकी दिनांक 24.01.2015 तक अनिवार्य रूप से तैयार किये जाने होंगे।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)